

वादीगण
 1. अकबर 2 रहीम
 3 उरस 4 लतीफ
 पिसरान हमीर जाति
 मुसलमान निवासी
 आदर्श चूली पटवार
 मण्डल चूली
 तहसील व जिला
 बाडमेर।

प्रतिवादीगण
 1 हाराम पुत्र जुम्मा 2 चान्दबीबी पत्नी हाराम 3 रोरा पुत्र जुम्मा 4 मुराद 5
 भीखा 6 अमीन 7 अयुब पिसरान मुनियी (गिरारी) 8 रातवाई वेवा मुनियी
 (गिरारी) 9 भीखा 10 धनू पिसरान सुगार जाति मुसलमान निवासी आदर्श
 चूली 11 रतनसिंह पुत्र पुरखसिंह 12 जडावकवर पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत
 निवासी आदर्श चूली 13 दीपसिंह पुत्र भूरसिंह 14 अरविन्दसिंह 15
 कुलदीपसिंह 16 सुरजपालसिंह 17 जयसिंह पिसरान रतनसिंह जाति राजपूत
 निवासी आदर्श चूली तहसील व जिला बाडमेर 18 श्रीमति सुशीलकंवर पत्नी
 सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी चूली 19 शैतानसिंह 20 गणपतसिंह पिसरान
 चंदनसिंह 21 रूपसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडिया तला
 खारा तहसील रामसर 22 प्रबन्धक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
 भारत सरकार कार्यालय बलदेव नगर बाडमेर 23 शाखा प्रबन्धक राजस्थान
 मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाडमेर 24 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत 53, 88 व 188 रा.का.अ.
 मुकदमा नम्बर :- 47/2020

संशोधित निर्णय दिनांक :- 21/10/24

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 11 से 14 से 18 से 21 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/10/24 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे को लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और संशोधित प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 14 से 18 से 21 का काउन्टर क्लेम प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा आदर्श चूली पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 167/112 रकबा 122.09 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का 1/16, वादी संख्या 02 का 1809/39184 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 65/612 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का (1/153 + 25/2449) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का (1/153 + 25/2449) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का (1/153 + 25/2449) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का (1/153 + 25/2449) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 का 70/2449 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 21 का 90/2449 हिस्सा मौजा आदर्श चूली पटवार हल्का चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 169/112 रकबा 32.13 बीघा, खसरा संख्या 281/112 रकबा 02.13 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का 22/353, वादी संख्या 02 का 22/353 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 22/353 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 22/353 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 का 99/706 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 का 4/353 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 400/13061 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 का 800/13061 हिस्सा, खसरा संख्या 111 रकबा 0.08 बीघा में वादी संख्या 01 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/16 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 04 का 1/16 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। कमीशनर शुल्क रु. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 21/10/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

21/10/24

(वीरमा राम)

पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीशनर की फीस		कमीशनर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			